The Tribune - 03- January-2024

SC dismisses plea for construction on Yamuna floodplains

TRIBUNE NEWS SERVICE

NEW DELHI, JANUARY 2

The Supreme Court on Tuesday dismissed a petition by the Delhi Police seeking permission to construct barracks for its trainees in the floodplains of the Yamuna.

"Why do you want to construct it on the Yamuna floodplains? Steps need to be taken for the environment. Last year the flood water entered the Supreme Court. How can we allow barracks on Yamuna?" a Bench, led by Justice AS Oka, asked while dismissing the petition.

The Delhi Police had moved the top court against an order of the National Green Tribunal (NGT) that dismissed its petition in 2020 on the ground that the project was located right on the floodplains andthus could not be allowed.

The NGT had turned down the submission of the Delhi Police that the Principal Committee, formed to oversee Yamuna rejuvenation, made recommendations in favour of the Delhi Police.

The NGT, in its 2015 order, prohibited any construction activity in the demarcated floodplain and directed the Principal Committee to identify all existing structures on the demarcated floodplain.

"Upon identification, the Principal Committee shall make its recommendations as to which of the structures ought or ought not to be demolished, in the interest of environment and ecology, particularly, if such structures have been raised in an unauthorised and illegal manner," the NGT said.

Telangana Today - 03- January-2024

NSP impasse brings works to a halt

Dam site, handed over to the CRPF, is not accessible to Operations and Maintenance wing of Telangana

STATE BUREAU
HYDERABAD

The much-needed regular maintenance works on the Nagarjuna Sagar Dam have come to a standstill with the stalemate continuing over operational control of the project. Andhra Pradesh had forcibly taken over control of 13 of the dam crest gates on its end and it was in no mood to relent.

The maintenance works taken up by Telangana on the joint project were halfway through in respect of certain components. The dam site, which was handed over to the CRPF for protection and surveillance in the first week of December, is not accessible to the Operations and Maintenance wing of Telangana.

"The operations and maintenance works grounded on the dam are in a standstill. The material collected for changing the track 125T/25T Gantry cranes are spread over the entire dam right from Gate no 1 to Gate No 26. Works on automation of the gates were also held up because of the standoff," officials said.

The only maintenance work undertaken in the recent months was the replacement of rubber seals for sluice gates of the hydel units on the AP side. Telangana had replaced nine gates on the AP side as it was tasked with the operational control of the entire project. It had spent over Rs 70 crore on dam maintenance.

KRMB has to overcome constraints on budget and manpower to shoulder operations and maintenance tasks, say officials.

AP officials had taken over even the flood control room located on the right side of the dam between Gate no 14 and Gate No 26. AP had claimed that the location fell under its jurisdiction. Telangana officials were forced to leave the flood control room. The KRMB should have intervened taking the issue seriously, but it did not, officials said. The State Dam Safety Organisation (SDSO) and the operations and maintenance wing have repeatedly been writing to the National Dam Safety organisation and the Krishna River Management Board on the issue. The O&M wing sought to know for itself who would take up the maintenance works.

Officials said they were yet to get complete clarity on the issue. It is not known whether the KRMB would task itself with the operations and maintenance as in the case of the Tungabhadra River Management Board. The KRMB has to overcome its constraints in respect of budget and manpower to shoulder such tasks, said officials. In a letter addressed to the KRMB chairman, TS Engineer-in-Chief (General) C Muralidhar Rao sought restoration of status quo position as on pre-November 28 position immediately.

As directed by the Ministry of Home in the aftermath of the November 29 face-off between the police forces of both Telangana and AP, the KRMB was expected to help restore status quo on the dam site. All the issues pertaining to operations and maintenance of the dam should be resolved at a high-level meeting to be held shortly with the Chief Secretaries of both the States, officials said.

Dainik Jagran- 03- January-2024

यमुना का संरक्षण जनहित और पर्यावरण के हित में : सुप्रीम कोर्ट

- दिल्ली पुलिस की यमुना खादर में निर्माण की याचिका खारिज
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह एनजीटी के आदेश से सहमत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने यमुना खादर में अस्थायी क्वाटर निर्माण की मांग वाली दिल्ली पुलिस की याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) के आदेश से सहमति जताते हुए कहा कि यमुना नदी का संरक्षण व्यापक जनहित और पर्यावरण के हित में है। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर एनजीटी के आदेश को चुनौती दी थी।

मंगलवार को दिल्ली पुलिस की याचिका जस्टिस अभय एस ओका और उज्जवल भुइयां की पीठ के समक्ष सुनवाई पर लगी थी। जैसे ही सुनवाई का नंबर आया, पीठ ने दिल्ली पुलिस की ओर से बहस के लिए पेश एडिशनल सालिसिटर जनरल (एएसजी) से कहा कि आप यमुना खादर में क्यों निर्माण करना चाहते हैं। आदेश में कहा गया है कि यमुना की हालत खराब है। संविधान का अनुच्छेद 51ए कहता है कि आपको नदियों को संरक्षित करना चाहिए। यमुना खादर में निर्माण की इजाजत कैसे दी जा सकती है। एएसजी ने कोर्ट को अपनी बात समझाते हुए यमुना पुनरुद्धार की निगरानी कर रही प्रिंसिपल कमेटी की रिपोर्ट का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि वहां लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, लेकिन कोर्ट दलीलों से सहमत नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि वहां अतिक्रमण है, लेकिन ये तो सेमी परमानेंट प्रकृति का निर्माण है। पीठ ने कहा, पिछले साल बाढ़ का पानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। केंद्र सरकार को निर्माण के लिए और कोई जगह नहीं मिली? इसके बाद कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की याचिका खारिज करते हुए अपने आदेश में लिखाया कि कोर्ट, एनजीटी के आदेश से सहमत है कि यमुना नदी का संरक्षण व्यापक जनहित और पर्यावरण के हित में है।

Rajasthan Patrika- 03- January-2024

भीलवाड़ा में जलक्रांति

चम्बल परियोजना आने के बाद बढ़ा शहर का भूजलस्तर

आकाश माथुर
patrika.com

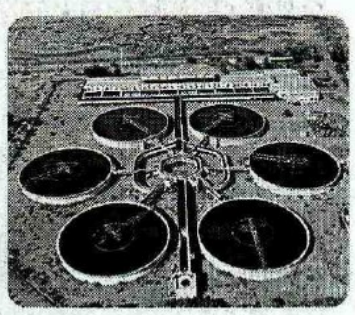

भीलवाड़ा. एक दशक पूर्व तक भीलवाड़ा और शाहपुरा में जलसंकट के हालात थे। सात दिन के इंतजार के बाद पानी आता था और आपूर्ति एक घंटे भी नहीं हो पाती थी। अब यह बीती बात हो गई। 150 किलोमीटर दूर रावतभाटा से आया चम्बल का पानी भीलवाड़ा और शाहपुरा जिले के लिए वरदान बन गया। चम्बल की धारा ने शहर में कदम रखते ही भीलवाड़ा में जलक्रांति ला दी। चौंकाने वाली बात है कि 15 साल पहले जमीन का सीना छलनी कर 300 फीट पर पानी आ रहा था। चम्बल आने के बाद मौजूदा हालात में 10 फीट पर भूजल है। स्थिति यह है कि शहर के बेसमेंट पानी से तरबतर है। अब जमीन में पानी का संकट नहीं बल्कि भीलवाड़ा पानी पर तैर रहा है। शहर की पांच लाख की आबादी इस समय चम्बल का 800 लाख लीटर पानी पी रही है।

नलकूप पर निर्भरता घटी: वर्ष-2017 में चम्बल परियोजना के प्रथम फेज में काम पूरा हुआ और शहर में जल सप्लाई शुरू हुई। जलापूर्ति में सहयोगी बने जलदाय विभाग के करीब डेढ़ सौ नलकूप पर आसरा कम हो गया। भीलवाड़ा की जीवनरेखा कहलाने वाले मेजा बांध और ककरोलिया घाटी पर भी जलापूर्ति का दबाव कम हुआ। इससे औद्योगिक क्षेत्रों की मांग भूमिगत जल पूरी कर रहा है। भूजल विभाग की माने तो शहर के कई इलाकों में 10 से 15 फीट पर पानी आ रहा है।

इनका कहना है

चम्बल आने के बाद भूजल स्तर पर फर्क पड़ा है। भीलवाड़ा भूजलस्तर बढ़ा है। शहर के कई इलाकों में 10 से 15 फीट पर पानी आ रहा।

- निरंजन हाड़ा, अधिशाषी अभियंता जलदाय विभाग

Rajasthan Patrika- 03- January-2024

25 को खुलेगी निविदा, दो साल बाद शुरू होगा निर्माण

18 तक जमा होंगे टेंडर... 5500 करोड़ से बनेगा केन-बेतवा लिंक परियोजना का ढोढन बांध

छतरपुर @ पत्रिका. केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के निर्माण की शुरुआत इस साल हो जाएगी। मुख्य बांध ढोढन के निर्माण के लिए 5500 करोड़ का टेंडर अक्टूबर 2022 में जारी किया गया था। टेंडर जमा करने की नई तारीख 18 जनवरी तय की गई है। टेंडर 25 जनवरी को खोले जाएंगे। तभी निर्माण कंपनी का नाम

तय हो जाएगा। इसके बाद वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी लेकर निर्माण शुरू होगा। निर्माण का काम करीब दो बाद शुरू हो पाएगा।

पन्ना में बढ़ी प्रभावित गांवों की संख्या: छतरपुर जिले के 14 गांव विस्थापित किए जा रहे हैं। पन्ना जिले के 11 गांव विस्थापित किए जाएंगे। पहले आठ गांवों को विस्थापित करने को चिह्नित किया गया था। इनमें पन्ना तहसील के गहदरा, कटहरी बिलहटा, मझौली, कोनी और डोंडी और अमानगंज तहसील के खमरी, कूडन और मरहा गांव शामिल हैं। इसके अलावा ललार, रमपुरा, जरधोबा और कंडवाहा गांवों की भी शासकीय राजस्व भूमि विस्थापित करने का फैसला लिया गया है। तीनों में लोक सुनवाई हो चुकी है। सभी 11 गांव पीटीआर के अंदर बसे हैं। गांवों की जमीन पन्ना टाइगर रिजर्व को सौंपी जाएगी।

Rajasthan Patrika- 03- January-2024

ईआरसीपी

इसी माह एमओयू...जहां पानी वहां इकोनॉमिक डवलपमेंट होने की संभावना बनेगी

नई डीपीआर में 79 छोटे बांधों को भी जोड़ने की तैयारी

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. प्रदेश की लाइफलाइन ईआरसीपी (पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना) पर राजस्थान और मध्यप्रदेश के बीच इसी माह एमओयू होगा। इसके लिए नई डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) बनाने पर काम शुरू हो गया। खास यह है कि नई डीपीआर में 79 छोटे बांधों को भी जोड़ने की तैयारी है। इसके लिए इन बांधों का ग्रिड सर्किट तैयार किया जाएगा, ताकि एक बांध से दूसरे तक पानी पहुंचाया जा सके। हालांकि, पिछली सरकार ने भी इन

बांधों को चिन्हित किया था, लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ा। विषय विशेषज्ञों का मानना है कि टुकड़ों में बांधों को जोड़ने की बजाय इनका पूरा एक सर्किट बन जाए तो पानी की कमी से जूझ रहे प्रदेश के लिए यह कवायद मील का पत्थर साबित होगी।

पढ़ें नई @ पेज 15

ये हैं छोटे-बड़े बांध...जो जुड़ेंगे

- **अलवर:** जयसमंद, घामरेड, घाटपिक
- **भरतपुर:** बारेठा, सिकारी, अजन लोअर, अजन अपर
- **बूंदी:** चाकन
- **दौसा:** मोरल, सैंथलसागर, सिनोली, झिलमिल, गेतोलाव, चंदराना, भंडारी, माधोसागर, जगरामपुरा, बिनोरीसागर, राहुवास, सिंयोली
- **गंगापुरसिटी:** फतेसागर, महसवा, विशनसमंद, मोहनपुरा, रायसाना, रौंनसी, नाजीमवाला कुजेला, बोनी, चंदापुरा, बनियावाला, मोतीसागर, टोक्सी, तेलनवाला, नयातालाब सिरोली, नयातालाब सेवा, कादिप, जेवाली, डोब, खिदारपुर, जौहरीवाला, रामतालाब
- **करौली:** जलसेन, जटवाडा, कायराड़ा, कालीसिल, पांचना, जग्गर
- **धौलपुर:** पार्वती, रामसागर, तालाबशाही, उर्मिलासागर
- **जयपुर:** रामगढ बांध, कालख, कानोता, छापरवाड़ा
- **सवाईमाधोपुर:** मूई, पांचोलास, सुरदाल, धील, मोरसागर, गुडाला, आकोदिया, नागतलाई, गंदाल, लिवाली, नागोलाव, सौभागसागर, रानीला, पिपलाई, ईसरदा
- **टोंक:** ठिकरिया, कुम्हारिया, मारी, गालवा, गलवानिया, टोरडीसागर